86

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1536–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–5–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 01/अपील/2013–14.

1. लक्ष्मीनारायण शाह पिता गोपालदास शाह
2. रामचरण शाह पिता गोपालदास शाह
3. गोपालदास शाह पिता स्व0 मनराखन शाह
सभी निवासी ग्राम माजनखुर्द, थाना बैढ़न
जिला सिंगरौली, रीवा म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. भगवानदास पिता स्व0 मनराखन शाह
2. भानमती पुत्री स्व0 मनराखन शाह
3. सोबरिनया पुत्री स्व0 मनराखन शाह
4. किसमती पुत्री स्व0 मनराखन शाह
सभी निवासी ग्राम माजनखुर्द, थाना बैढ़न
जिला सिंगरौली म0प्र0

———— अनावेदकगण

....

श्री संतोष मिश्रा, अभिभाषक आवेदकगण
श्री आर0के0 देव पाण्डे, अभिभाषक अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/04/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 03–5–16 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959, की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार सिंगरौली के समक्ष ग्राम माजनखुर्द की कुल किता 16 कुल

रकवा 3.93 हे0 का 1/18 एवं ग्राम पचखोरा की कुल किता 4 योग रकवा 0.859 हे0 का 1/6 हिस्सा पर वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार सिंगरौली के प्रकरण कमांक 174/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 22–4–13 के द्वारा वसीयत की गई भूमियों पर आवेदकगण का तथा शेष बची भूमियों पर वारिसानों का नाम सहखाते में दर्ज करने के आदेश दिये। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 20–9–13 को आदेश पारित कर अपील खारिज की जाकर न्यायालय का आदेश यथावत रखा गया। जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 03–5–16 के द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर वारिसाना नामांतरण स्वीकार किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन आवेदकगण एवं अनावेदकगण के पारिवारिक भूमि है। स्व0 मनराखन शाह के द्वारा पारित भूमियों को उनके पुत्रों के मध्य वाहमी इंतजाम कर दिया था तथा मनराखन ने अपने हिस्से की भूमियों के संबंध जो वसीयत आवेदक कमांक 1 व 2 के हक में निष्पादित कर दिया था वह कानूनन एवं स्वत्व अंतण का अकाट्य विलेख था जिसे तहसील न्यायालय ने वसीयत के साक्षियों द्वारा प्रमाणित किया गया था और तहसीलदार द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर जो नामांतरण आदेश पारित किया था वह प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थिर रखा गया था, परन्तु अपर आयुक्त ने साक्ष्यों का आंकलन कर जो निर्णय पारित किया वह अपास्त किये जाने योग्य है। यह भी तर्क किया कि वसीयत का पंजीकरण कराना था जिसे पब्लिक नोटरी के सामक्ष निष्पादित वसीयत जिसे निष्पादक की मृत्यु के पूर्व वसीयत के

प्रमाणीकरण के साक्षीगण के बयान के आधार पर तहसीलदार न्यायालय द्वारा सही एवं सत्य पाये जाने पर पारित नामांतरण आदेश विधि के अनुसार होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो एक व्यक्तिगत अभियोग पत्र में न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष वसीयत की फोटो प्रति को किसी व्यक्तिगत हस्तरेखा विशेषज्ञ से मृतक मनराखन के अंगूष्ठ के संबंध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर आवेदकगण के विरूद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है वह कानूनन अवैध कार्यवाही पर होने से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां प्रस्तुत निगरानी की जा चुकी है एवं न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन व्यक्तिगत परिवार औचित्यविहीन होने से सव्यय निरस्त कर दिया जावेगा। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी प्रमाणित साक्ष्य के विपरीत जो कार्यवाही की गयी है, को आधार मानकर जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से पिता मनराखन साहू नं अपने स्वामित्व की दोनों गांवों की भूमियों का अपने दोनों पुत्रों के मध्य हिस्सा बांट कर आधा–आधा कब्जा उन्हें दे दिया था तथा उनकी मृत्यु दिनांक 06–2–2011 को निर्वसीयतीय अवस्था में हो गई थी। उनके वारिश के रूप में उनकी विधवा पत्नी दो पुत्र तथा तीन पुत्रियां जीवित थी, लेकिन मनराखन के पुत्र गोपाल दास के दोनों लड़के यानी मनराखन के नाती उत्तरवादी क0 1 व 2 बडे ही चालाकी से नोटरी से सांठ–गांठ कर महत्वपूर्ण भूमियों का एक वसीयत नोटरी के समक्ष फर्जी रूप से तैयार कर मनराखन साहू का फर्जी निशानी अंगूठा लगाकर वसीयतनामा तैयार कारक उसके आधार पर तहसीलदार सिंगरौली के समक्ष नामांतरण आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें मात्र म0प्र0 शासन तथा मनराखन साहू को पक्षकार बनाया। उसमें किसी अन्य सहखातेदार एवं वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया। जबकि ऐसे नामांतरण प्रकरण में सभी हितबद्ध व्यक्ति तथा सहखातेदार आवश्यक

पक्षकार बनते हैं जिन्हें पक्षकार बनाकर व्यक्तिशः नोटिस जारी कर सुनवाई का मौका देना चाहिए था। लेकिन तहसीलदार ने नामांतरण नियम 27 एवं 32 का कतई पालन नहीं किया गया। जानकारी होने पर अनावेदकगण ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की, फिर भी तहसीलदार ने आपत्तिकर्ता की आपत्ति को निरस्त कर वसीयतकर्ता एवं साक्ष्यों के परस्पर विरोधी कथनों के बावजूद भी अप्रमाणित वसीयत के आधार पर नामांतरण के आदेश देने में अवैधानिकता की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की थी जिसे अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में वैधानिक कार्यवाही की है। यह भी तर्क किया कि जिस दिनांक को उक्त वसीयत निष्पादित कराया जाना उल्लिखित किया गया है, उक्त दिनांक को तहसील–सिंगरौली में उपपंजीयक कार्यालय कार्यालय अस्तित्व में था, फिर भी उक्त वसीयत मनराखन साहू के मृत्यु के बाद तैयार किया गया था, जिसका निष्पादन पंजीयक कार्यालय से होना संभव नहीं था। यही कारण है कि वसीयतनामा नोटरी के समक्ष मनराखन साहू का फर्जी निशानी अंगूठा लगाकर तैयार किया गया था, क्योंकि मनराखन साहू के मात्र दो लड़के थे, दोनों का उनके समान स्नेह व लगाव था, पुत्रियां शादी होकर अपने ससुराल अवश्य चली गई थी लेकिन उन्होंने अपने हक का परित्याग नहीं किया था, तो वह एक मात्र पुत्र गोपालन दास के दोनों लड़कों के नाम अच्छी–अच्छी भूमियों का वसीयत क्यों कराता यह एक अनुमान का विषय था, फिर भी अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने इस तथ्य पर विचार न कर वसीयत में उल्लिखित भूमियों का उत्तरवादी क्र0 1 व 2 के नाम वारिसाना नामंतरण करने में गंभीर भूल की है। तर्क में यह भी कहा कि नामांतरण के समय विधिवत इश्तहार का प्रकाशन ही नहीं किया और न ही सार्वजनिक चौपाल पर किसी तरह की डुग्गी ही पिटवाई गई। मृतक मनराखन साहू का वसीयत पर लगा अंगूठा एवं भूमि विकय करते समय विकय पत्र में जो

अंगूठा चिन्ह लगा था वह हस्ताक्षर विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार भिन्न है। इसी कारण अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत वसीयत को फर्जी मानते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने में उचित कार्यवाही की गई है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक लक्ष्मीनारायण शाह एवं रामकरन शाह द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा 164, 110 के प्रश्नाधीन भूमियों का वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पेश किया जिसमें अनावेदक के रूप में म0प्र0 शासन एवं मनराखन साहू को पक्षकार बनाया गया। नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर हितबद्ध व्यक्तियों एवं सहखातेदारों को पक्षकार बनाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा तहसीलदार को भी संबंधित हितबद्ध पक्षकार को विधिवत सूचना जारी करना चाहिए था। विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार ने आदेश पत्रिका पर इश्तहार जारी करने के आदेश दिये हैं परन्तु अभिलेख में इश्तहार संलग्न नहीं है स्पष्ट है कि नामांतरण के पूर्व इश्तहार का प्रकाशन नहीं कराया है। तहसीलदार द्वारा विधि में प्रावधानित नामांतरण नियमों का पालन नहीं किया गया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी स्थिर रखने में अवैधानिक एवं विधि विपरीत कार्यवाही की है। जहां तक अनावेदक अभिभाषक द्वारा उठाये गये फर्जी अंगुष्ठ निशानी होने का प्रश्न है प्रकरण में प्रस्तुत किये गये हैण्डराईटिंग एक्सपर्ट एवं फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि हैण्डराईटिंग एक्सपर्ट द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र एवं प्रश्नाधीन वसीयत के अंगुष्ठ निशानी के परीक्षण में दोनों अंगूठा निशानी में भिन्नता पाई है। स्पष्ट है कि मनराखन की ओर से प्रस्तुत वसीयत में लगे अंगूठा को फर्जी पाते हुये अपर आयुक्त ने प्रस्तुत वसीयत को संदिग्ध माना है और वसीयत

के आधार पर किये गये नामांतरण को निरस्त किया है। अपर आयुक्त अपने आदेश में विस्तार विवेचना कर प्रत्येक बिन्दुओं पर निष्कर्ष निकाले हैं और प्रश्नाधीन भूमियों को वारिसाना हक में नामांतरण किये जाने के आदेश दिये हैं। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 03—5—2016 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर